



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1172]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 21, 2012/ज्येष्ठ 31, 1934

No. 1172]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2012/JYAISTHA 31, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2012

का.आ. 1401(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 444(अ) तारीख 12 जून, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बदले निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“24 ओडिसा ओ डी”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[सं. आर.टी.-11028/03/2011-एम.वी.एल.]

नितिन र. गोकर्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—अधिसूचना सं. का.आ. 444(अ) भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 12 जून, 1989 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 14(अ) तारीख 5 जनवरी, 2001 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND  
HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2012

S.O. 1401(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 41 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Surface Transport No. S.O. 444(E) dated the 12th June, 1989, namely :—

1. In the table to the said notification, for serial number 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“24 Odisha OD”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. RT-11028/03/2012-MVL]

NITIN R. GOKARN, Jt. Secy.

Note.—Principal notification number S.O. 444(E) dated the 12th June, 1989 was published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and was last amended vide notification number 5th January, 2001.